न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी प्र.क्र. /2016

मंहत हरिदास चेला जागेश्वरदास सादिक चेला
महादेवदास वकायन वटियागढ जिला दमोह म.प्र.

.....आवेदक

बनाम

म0प्र0शासन

.....रेस्पोन्डेन्ट

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 अनुविभागीच अधिकारी पथरिया जिला दमोह के राजस्व रा0 प्र0क0 01/ब /113(4) /2014-15 मे पारित आदेश दिनांक 28.4.2015 के विरुरुद्ध

श्रीमानजी,

सेवा में आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार है:-

प्रकरण के सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

1. यहकि, प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है आवेदक मंहत अरिदास चेला जागेश्वरदास साकिन वकायन तहसील वटियागढ द्धारा आवेदन पत्र प्रस्तुत मंदिर श्री कौशलाधीश जी वेद महाबीर जी, बाके मोजा बेद मुहत्तमकार महादेवदास चैला जयरामदास प्रवधक कलेक्टर महोदय मंदिर के नाम स्थित भूमि ग्राम बकायन ख0न0 31,38,75,78,41,65,66,70,73,286,,300,कुल किता 11 रकवा कमश 0.31,2.09,2.00,0.65,,1.08,0.44,,3.12,1.87.,1.50,2.43,2.81 हे। कुल रकवा 18.300 हे0 है आवेदक द्धारा उक्त मंदिर की भूमियो का मुहत्तमकार वनाये जाने का आवेदन पेश किया है । आवेदक पत्र की विधिवत एंव नियमानुसार जांच तहसीलदार द्वारा कराई गई जिस जांच प्रतिवेदन में तहसीलदार द्धारा यह लेख किया कि राजस्व अभिलेख में भूमि मुहत्तमकार महादेवदास चेला जयरामदास प्रबंधक कलेक्टर दमोह के रूप में दर्ज है। तहसीलदार वटियागढ के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया जिससे यह प्रतीत हुआ है कि वर्तमान मं मंदिर श्री कौशलाधीश जी वेद, महाबीर जी बाके मोजा वेद मुहत्तमकार महादेवदास चेला जयरामदास के नाम दर्ज है। महादेव दास चेला जयरामदास वर्तमान मंहत काफी बृद्ध हो चुके हे। बोल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3485एक/2016 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02--06-2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पथरिया जिला दमोह के प्रकरण कमांक 01/ब/113(4)/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 28–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने मंदिर के मुहत्तमकार व्यवस्थापक के रूप में कार्य करने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। आवेदक चाहे तो सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकता है। दर्शित परिस्थितियों यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	